1·6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– भतरौंजखान-जीनापानी-उमालिया से पिंगराली (कि० मी० 16-20) 5.00 किमी०

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मझेड़ा
तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (—×— हे0 आरक्षित वन भूमि, —×— हे0 सिविल सोयम भूमि 0.198 हे0, वन पंचायत भूमि 0.765 हे0) अर्थात कुल 0.963 हे0 वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मझेड़ा द्वारा दिनांक 12/03/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मझेड़ा, कुन्हाली, सौरे के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –	(एच0 एस0 नेगी)	ह0 / –
ग्राम सचिव	सदस्य	ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	क्षेत्र पंचायत–सौरे	प्रधान
ग्राम पंचायत सौरे	वि0ख0 भिक्यासैन (अल्मोड़ा)	ग्राम पंचायत सौरे
वि0ख0 भिकिया सैन (अल्मोड़ा)		वि0ख0 भिकियासैण (अल्मोड़ा)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

सदस्य
क्षेत्र पंचायत विनौली
वि0ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.1

दिनांक ..../03/2015....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपरिथति

ग्राम पंचायत ...सौरे...........................

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री शिवसिंह बिष्ट तल्ली सौरे	शिवसिंह
2-	" खीमसिंह कठायत " "	खीमसिंह
3-	" किशनसिंह " " "	
4-	" दयालसिंह नेगी कुमाटी	दयालसिंह
5-	" किरपालसिंह नेगी "	[illegible]
6-	" खीमसिंह कुवार्बी सरपंच सौरे	Khim Singh
7-	" अनूपसिंह रावत सौरे	
8-	" भूपालसिंह बिष्ट	
9-	" अनिल बिष्ट	अनिल बिष्ट
10-	किशनसिंह	किशनसिंह
11-	अनूपसिंह सौरे	किरपालसिंह
12-	त्रिलोकसिंह "	त्रिलोकसिंह
13	भूपाल सिंह "	भूपालसिंह
14	कुंवरसिंह "	कुंवरसिंह जमनसिंह
15	जमनसिंह "	
16	बागसिंह "	बागसिंह
17	[illegible] राम "	
18	रघुवीरसिंह	राजेन्द्र सिं रघुवीरसिंह

[signature] 17/03/15
(एच0 एस0 नेगी)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत–सौरे
वि0ख0 भिक्यासैन (अल्मोड़ा)

[signature]
सदस्य
क्षेत्र पंचायत विनोली
वि0ख0 भिकियासैन (अल्मोड़ा)

ह0/–
ग्राम प्रधान
चन्दनसिंह
प्रधान
ग्राम पंचायत सौरे
वि0ख0 भिकियासैण (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– भतरोजरखान – जीनापानी – उगलिया – निगराली (Km 16-20) 5.000 Km

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैण

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भिकियासैण

उपखण्ड भिकियासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत भतरोजखान – जीनापानी – निगराली मोटर मार्ग (—— हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.765 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.198 अर्थात कुल 0.963 हे0 वन भूमि) का लो०नि०वि० ——प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भिकियासैण) की दिनांक 12/03/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री N.S. Naganyal, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री N.S. Nagonyal उपजिलाधिकारी ——अध्यक्ष
2– श्री V.K. Singh उप प्रभागीय वनाधिकारी ——सदस्य
3– श्री R.S. Rawat सहायक समाज कल्याण अधिकारी ——सदस्य/सचिव
4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र ——सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भतरोजखान – जीनापानी – उगलिया – निगराली (Km 16-20) 5.000 Km ——परियोजना हेतु 0.963 हे0 वन भूमि लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड रानीखेत उत्तराखण्ड —— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, V.K.Singh द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड भिकियासैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत भतरोजखान – चीनापानी – उभलिया – निगरानी परियोजना के निर्माण हेतु .... है0 वन भूमि .... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)
तहसील–..
जनपद ......अल्मोड़ा......

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– भिकियासैंण (अल्मोड़ा)
जनपद ......अल्मोड़ा......

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date......13.03.15..............at time......5:00 PM.............at Almora. in which application claiming rights of .... area measuring 0.963. hect. for the Construction of Bhatrochkhan-Jeenapani-Ugaliya-Nigrali M/R (Km 16-20) 5.000 Km... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After serutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

13.03.15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

13.03.15
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

FORM-1

Government of Uttarakhand Almora

Office of the District Collector : ~~Rudraprayag~~

No :....................................... **Dated:..............**

TO WHOMSOEVENT IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Enviroment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers)Rocognitation of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..................hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction..भतरोजखान – जीनापानी – उगलिया – निगराली (Km-16-20) 5.000 Km.. (Purpose for diversion of forest land) in..अल्मोड़ा.......district falls within jurisdiction of..मझेड़ा....village(s) in..भिकियासैंण.....Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..0.963..Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilties managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent ot it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Trible Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

13.03.15

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा.

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. **परियोजना का नाम** :– भतरोजखान – जीनापानी – उगलिया – निगराली M/R (Km 16–20) 5.000 Km ....।

वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि0 .... के अनुसार प्रमाण–पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित भतरोजखान – जीनापानी – उगलिया – निगराली M/R (Km 16–20) 5.000 Km के निर्माण हेतु 0.963 है0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

13.03.15

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा.

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

Ameen Pramar Patra/Arvind